राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3219/2023
रियाजुदीन अस्मानी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, सचिवालय, 4जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (वित्त)(आबकारी), सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
3. आबकारी आयुक्त, राजस्थान आबकारी भवन, 2–गुमानियावाला, पंचवटी, उदयपुर, राज.।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 08.12.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री नजीब अनवर खान, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी वर्तमान में जिला आबकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत है और अपीलार्थी उक्त पद पर आदेश दिनांक 29.09.2023 की पालना में कार्यरत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क रहा है कि कुछ जिलों में जिला आबकारी के पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भी पदस्थापित किया जाता है, जिस कारण से कार्यरत जिला आबकारी अधिकारियों का कोई एपीओ अथवा अन्यत्र स्थानांतरण किया जाता है। उनका यह भी कथन है कि आबकारी विभाग द्वारा कार्मिक विभाग को जिला आबकारी अधिकारी के पद पर स्थानांतरण/पदस्थापन किये जाने की सूचना प्रेषित नहीं की जाती है, इस कारण से कार्मिक विभाग द्वारा जिला आबकारी अधिकारियों के पद को रिक्त मानते हुए राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पदस्थापित कर दिया जाता है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी की ओर से इस अपील में निम्न प्रकार से प्रार्थना की गई है:–

> " It is, therefore, prayed that this appeal of the Appellant may kindly be allowed and by an appropriate order or direction this Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to: -
>
> a) Direct the respondent department to get the post of District Excise Officer, Ajmer omitted from the Department of Personnel (DOP) from the list of vacant post mentioned with Department of Personnel (DOP).

b) Restrain the respondent No.1 i.e Department of Personnel (DOP) to give posting to the post of District Excise Officer, Ajmer considering the same as a vacant post.

c) Restrain the respondent not to relive or place the Appellant under A.P.O. without passing of appropriate order.

d) Any other appropriate order or direction which may be considered just and proper in the facts and circumstances of the case may kindly also be issued in favour of the Appellant."

2. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। इस अपील में अपीलार्थी ने किसी प्रशासनिक आदेश को चुनौती नहीं दी है, बल्कि अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि भविष्य में कार्मिक विभाग को उनके पदस्थापन होने की सूचना नहीं होने पर उस पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का पदस्थापन हो सकता है, इस स्थिति का पूर्वानुमान लगाते हुए अपील प्रस्तुत की है। भविष्य में कार्मिक विभाग द्वारा अपीलार्थी के पद पर अन्य किसी का पदस्थापन करती है या नहीं, यह वर्तमान में नहीं कहा जा सकता है। इस स्तर पर अपीलार्थी के पक्ष में कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। अतः हम इस अपील में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि आदेश दिनांक 29.09.2023 (अनुलग्नक–6) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर के रिक्त पद पर किया गया है और उक्त आदेश दिनांक 29.09.2023 की सूचना कार्मिक विभाग को नहीं भेजी गई है। इस संबंध में इस अपील में हम केवलमात्र इस हद तक आदेश पारित करना उचित पाते है कि वित्त (आबकारी) विभाग उक्त आदेश दिनांक 29.09.2023 की एक प्रति कार्मिक विभाग को प्रेषित करें एवं भविष्य में भी जिला आबकारी अधिकारियों के पदस्थापन/स्थानांतरण की सूचना कार्मिक विभाग को प्रेषित करें।

3. इस आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)